न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

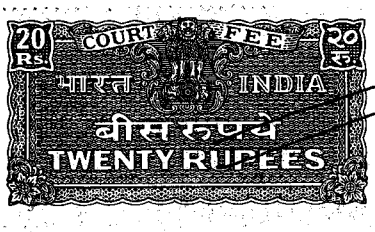

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

710
10.10.14

R-3781-III/14

आम जनता ग्राम करही, वार्ड क्र. 2 नगर पंचायत रामपुर बाघेलान जिला–सतना द्वारा– बलराम प्रसाद त्रिपाठी तनय रामावतार त्रिपाठी, सा0 ग्राम–करही, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला–सतना (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

क्रमांक 3484 आज दिनांक 29.10.14 को प्राप्त

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम्

1. ऋषिमुनि द्विवेदी तनय अर्जुन प्रसाद द्विवेदी,
सप्तमुनि द्विवेदी तनय ऋषिमुनि द्विवेदी,
दोनों निवासी वार्ड क्र. 2 ग्राम–करही, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला–सतना (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

श्री विपिन त्रिपाठी एड के द्वारा आज दिनांक 10.10.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्र. 337/अपील/13–14 आदेश दिनांक 11.08.2014.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

1. यह कि आलोच्य आदेश मनमाना तथा मामले में आये तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है उसमें अपने आदेश में आराजी नं. 792 के सीमांकन

Fog (12) R3781-III/14 सतना (30)

आमजनता कलही। अभियुक्त विवेकी

(20)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16-3-15 (29)	- आज अधिवक्तागण सामूहिक हड़ताल पर हैं। - वास्ते कायमी पर नकी। C.F 20-5-15 आज्ञा से, रीडर	मोजवा दुलारा गया। 20-5-15
20-5-15 (22)	- आवेदक की ओर से श्री विपिन त्रिपाठी एड० उप०। - वास्ते कायमी पर सुनवाई। C.F 6-7-15 आज्ञा से, रीडर	N.F 06-07-15
6-7-15 (23)	1. आवेदक अभिभावक श्री... विपिन त्रिपाठी... उपस्थित। 2. माननीय सदस्य महो० का रीवा आगमन नहीं हो सका 3. वास्ते कायमी पर दर्ज। पेशी तारीख...15-9-15 आज्ञा से रीडर राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा	N.F 15-09-15
30/9/15 (*) अपर आयुक्त रीवा के प्र.क्र. 337/अपील/13-14 में पारित आदेश दि. 11-8-14 अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर बाघेलान, जि. सतना के प्र.क्र. 102/अपील/13-14 में पारित आदेश दि. 4-3-14 की प्रतियां एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो दि. 9/10-10-14 का मेरे द्वारा बारीकी से परिशीलन किया गया।	- आवेदक के अधिवक्ता को दायरा बिन्दु पर सुना गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। (*) 2- प्रस्तुत निगरानी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित है। अपर आयुक्त रीवा/ उनके प्र.क्र. 337/अपील/13-14 में पारित तत्कालीन आदेश दिनांक 11-8-14 के अंतिम पैरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह माना गया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर तहसीलदार के समक्ष निरीक्षक को प्रतिवेदन	

शाक्षेमुवा-80-फासेग्वा-'15-6-10-5,000 प्रपत्र.

30.9.15

प्रकरण क्रमांक.................................. जिला ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.9.15	... पेश करना चाहिए एवं अतिक्रमण हटवाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, अर्थात् वह यह मानते हैं कि संबंध अमले को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करनी चाहिए। किन्तु विद्वान अपर आयुक्त ने इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी के उस आदेश दिनांक 4.3.14 को निरस्त कर दिया जिसमें उन्होंने (SDO ने) आम जनता की अपील पर तहसीलदार को आदेशित किया था कि वे "म.प्र.शासन की भूमि आराजी क्र. 784 का विधिवत नाप कराएं एवं यदि शासकीय आराजी में किसी का अनाधिकार कब्जा पाया जाता है तो MPLRC की धारा 248 के तहत प्रभावी कार्यवाही पृथक से करें", क्योंकि उनके (SDO के) आदेश में लिखे अनुसार, SDO ने यह पाया था कि तहसीलदार ने "बिना पटवारी प्रतिवेदन अथवा स्वयम् स्थल सत्यापन किए" यह मान (विनिर्णय) कर लिया था कि "शासकीय भूमि अतिक्रमण रहित है"। ("Quotes" में लिखे शब्द SDO के आदेश से उद्धृत हैं)। इसके अतिरिक्त,	प्र.क्र. 102/अपील/13-14 में पारित

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपर आयुक्त ने विषयोक्ति भूमियों (आराजी क्र. 791, 792, 784) के ~~पुराने सीमांकन~~ आदि प्रकरणों का हवाला अपने आदेश दि. 11.8.14 में लिया है, उनसे संबंधित विसंगतियों का उल्लेख भी SDO ने अपने आदेश दि. 4.3.14 के पैरा-5 में (पहले से) करने के बाद अपना आदेश जारी किया है।	
	इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो के पैरा-7 में शासकीय भूमि पर स्थापित हैण्डपम्प, वृक्ष आदि को गैरनिगरानीकार द्वारा अपनी बाउण्ड्री में लेकर आम जनता का शासकीय भूमि पर निस्तार अवरोधित करने की शिकायत भी की गई है, जिस सम्बन्ध में भी वस्तुस्थिति का ज्ञान मौके पर विधिवत नाप आदि की कार्यवाही करके ही हो सकता है।	
	उपरोक्त के प्रकाश में मेरे द्वारा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11.8.14 निरस्त किया जाता है, तथा SDO का आदेश दि. 4.3.14 हस्तक्षेप योग्य ना होनेसे स्थिर किया जाता है। साथ ही यह आदेश भी दिया जाता है कि SDO के आदेश दि. 4-3.14 के अन्तिम पैरा-6 में	

30.9.15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक........................ जिला ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिलिखित समस्त कार्यवाही को इस आदेश की संसूचना के तीन माह के भीतर यह सुनिश्चित करते हुए पूर्ण जाए कि विधि के समस्त प्रासंगिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के समस्त सिद्धांतों का ~~[illegible]~~ ऐसी कार्यवाही के दौरान पालन हो, एवं किसी भी हितबद्ध पक्षकार के वैधानिक हित इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हों। प्रकरण समाप्त किया जाता है। दा.द. हो। 30.9.2015 सदस्य	

[कृ. प. उ.